



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1529

दिनांक:- 26/09/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 26/2023 की बैठक दिनांक 21.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर निम्नवत् निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर हैं।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-4 की 17/2023 वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति की बैठक दिनांक 01.08.2023 के कार्यवाही विवरण में वर्णित प्रकरण संख्या 16 के क्रम में सड़क मार्गाधिकार 40 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में जोन उपायुक्त द्वारा सात दिवस में आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने बाबत आम-सूचना प्रकाशित की गयी थी। प्रकाशित आम-सूचना के निर्धारित समयावधि में सरपंच ग्राम पंचायत भाण्डु कल्ला के द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ। प्राप्त आपत्ति/सुझाव में आपत्तिकर्ता द्वारा सड़क मार्गाधिकार 40 फीट निर्धारण हेतु पूर्व के निर्णय पर पुनः सड़क मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किये जाने पर विचार करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समिति बैठक दिनांक 21.09.2023 में पुनः सड़क मार्गाधिकार निर्धारण बाबत विचार-विमर्श हेतु रखा गया। समिति में प्राप्त सुझाव को मद्देनजर रखते हुए विचार-विमर्श करने उपरान्त प्रश्नगत सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारण किया गया अर्थात् सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाये जाने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक दिनांक 01.08.2023 के शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	नारनाडी	163/2	04.04.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री हरिराम पुत्र श्री किशनलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 163/2 रकबा 04.04.00 बीघा बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की मुख्य सड़क से लिंक अन्य खातेदारी भूमि में से होने के कारण आवेदित भूमि को विधिवत पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण निरस्त करने का निर्णय लिया गया:-				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	झंवर	195	14892 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री करनाराम व श्री भूडाराम पुत्रान् भोलाराम जी				

—

विषय:-	राजस्व ग्राम झंवर के खसरा संख्या 195 रकबा 14892 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 18 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	बुझावड	6/3	6273 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री जगदीश पुत्र श्री किशनाराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 6/3 रकबा 6273 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 30 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। 				

2.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3.	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	बुझावड	460 / 18	0.6475 है० (6474.98 वर्गमीटर)	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भोलाराम पुत्र श्री गोपाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 460 / 18 रकबा 0.6475 है० (6474.98 वर्गमीटर) में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 30 मीटर रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	चौपासनी जागीर	106 / 2	01.00.00 बीघा	होटल एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री कुशलाराम, श्री थानाराम पुत्र श्री डलाराम जी व श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री डलाराम				

विषय:-	राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 106/2 रकबा 01.00.00 वीघा में होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 3. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा से गुजर रही एच.टी.लाईन की क्षमता व दुरी की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार सेफटी कॉरिडोर व जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार सडक अंकित की जावें। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटवेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	नारनाडी	851/841, 853/842, 913/852, 915/854	6287.87 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	सुराणा एक्सपोर्ट्स प्रा.लि जरिये प्रमोटर अरविन्द सुराणा पुत्र श्री रिखबचन्द सुराणा				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 851/841, 853/842, 913/852, 915/854 रकबा 6287.87 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 2. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय 				

	में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
	6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	केरला	1277/587	4854 वर्गमीटर	शैक्षणिक एकल भूखण्ड
आवेदक	वीरनी संस्थान जरिये अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा				
विषय:-	राजस्व ग्राम केरला के खसरा संख्या 1277/587 रकबा 4854 वर्गमीटर में शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 2. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार यू-2 भू-उपयोग में स्थित है अतः यू-2 डी.सी.आर अनुसार University, Colleges, integrated residential school with hostel facility अनुज्ञेय है अतः जारी पट्टा विलेख में अनुज्ञेय उपयोग का उल्लेख किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	बम्बोर दर्जियान्	19 व 19/5/1	07.01.00 बीघा	पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट)
आवेदक	श्री बाबुराम पुत्र श्री सुरताराम, श्री रिखाराम पुत्र श्री मानाराम जी व श्री गोमाराम पुत्र श्री भीखाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बम्बोर दर्जियान् के खसरा संख्या 19 व 19/5/1 रकबा 07.01.00 बीघा में पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-जैसलमेंर मुख्य बायपास सडक पर स्थित है अतः मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 				

2.	राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2018 अनुसार रिसोर्ट हेतु प्रस्तावित एकल पट्टे के प्रकरण में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की डी.एल.सी दर से राशि वसूल की जावें।
3.	प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	लोरडी देजगरा	64/4	16.02.00 बीघा में से 15.10.07 बीघा	रिसोर्ट एकल भूखण्ड
आवेदक	अगम होलीडेज एंव रिसोर्ट प्रा.लि जरिये डायरेक्टर श्री जगदीशचन्द चौहान पुत्र श्री लालूराम चौहान				
विषय:-	राजस्व ग्राम लोरडी देजगरा के खसरा संख्या 64/4 रकबा 16.02.00 बीघा में से 15.10.07 बीघा में रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 30 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2018 अनुसार रिसोर्ट हेतु प्रस्तावित एकल पट्टे के प्रकरण में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की डी.एल.सी दर से राशि वसूल की जावें। 				

3.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	मोकलावास	381/05	02-14-5.5 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री राजेश पुत्र श्री केशरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 381/05 रकबा 02-14-5.5 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 30 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक होने बाबत एवम् सडक की श्रेणी बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	मोकलावास	381 / 13	02-13-04 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अजमलराम पुत्र श्री केशरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 381/13 रकबा 02-13-04 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 30 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक होने बाबत् एवम् सडक की श्रेणी बाबत् सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	मोकलावास	381 / 12	02-12-10.5 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती देवी माई पत्नी श्री पुरजनराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 381/12 रकबा 02-12-10.5 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 30 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक होने बाबत एवम् सडक की श्रेणी बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	मोकलावास	381 / 14, 381 / 15	04.05.15 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री जवानाराम सोलंकी पुत्र श्री केसाराम				

विषय:-	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 381/14, 381/15 रकबा 04.05.15 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 30 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक होने बाबत् एवम् सडक की श्रेणी बाबत् सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. आवेदित भूमि के समीप से गुजर रही तेल पाईप लाईन के संबंध में संबंधित एजेन्सी से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान का रकबा जमाबंदी से आंशिक अधिक हैं अतः जमाबंदी रकबा के अनुरूप ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	249/173	3052 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मनीष भाटी पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 249/173 रकबा 3052 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
-----------------	--

एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गोलावास	253 / 168	2614 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मनीष भाटी पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गोलावास के खसरा संख्या 253 / 168 रकबा 2614 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 40 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	251 / 168	2954 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती पप्पूदेवी पत्नी श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 251 / 168 रकबा 2954 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 18 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	245 / 173	3047 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती पप्पूदेवी पत्नी श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 245 / 173 रकबा 3047 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 				

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	बुझावड	129	15135.22 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अमाराम, प्रेमराम, सताराम पुत्रान् श्री ढलाराम वगैरहा				
विषय:-	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 129 रकबा 15135.22 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग पूर्व अनुमोदित योजना से दर्शाया गया परन्तु पूर्व अनुमोदित योजना को गैर मुमकिन बाला से रास्ता दर्शाया गया है, अर्थात् आवेदित भूमि को विधिवत पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं हो रहा है अतः आवेदित भूमि को वेकल्पिक पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के उपरान्त ही प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 20 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	252 / 168	2639 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री हिम्मताराम भाटी पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 252 / 168 रकबा 2639 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 40 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 21 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	250 / 173	3052 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री हिम्मताराम भाटी पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 250 / 173 रकबा 3052 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 22 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	247 / 173	3047 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री हिम्मताराम भाटी पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 247 / 173 रकबा 3047 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 				

	<p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

एजेण्डा संख्या 23 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	246 / 173	3047 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मनीष भाटी पुत्र श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 246 / 173 रकबा 3047 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 24 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गेलावास	248 / 173	3047 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती पप्पूदेवी पत्नी श्री लूणाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गेलावास के खसरा संख्या 248 / 173 रकबा 3047 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 				

2.	आवेदित भूमि के पीछे खसरा संख्या 175 प्राधिकरण की भू-पट्टी स्थित है एवं उक्त भू-पट्टी के सहारे स्थित रास्ते को 24 मीटर प्रस्तावित करते हुए रास्ते के मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही खसरा संख्या 175 की भूमि की राशि प्रार्थी से वसूल की जावें।
3.	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	मोकलावास	282/2	8255.57 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री पारसराम पुत्र श्री जालूराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 282/2 रकबा 8255.57 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को निदेशक आयोजना के सुझाव अनुसार भविष्य में आस-पास में होने वाले विकास के साथ उत्पन्न होने वाले यातायात दबाव को कम करने व यातायात को सुगम बनाये जाने एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत 18 मीटर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले यातायात गतिरोध व संकुलन (traffic jam & congestion) को रोका एवम् सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रित किया जा सकेगा। निदेशक आयोजना के सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित मास्टर डवलपमेंट प्लान की 90 मीटर सडक के मध्य से 45 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जावें। 				

3.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4.	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 26 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	नारनाडी	213	04.00.00 बीघा	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	राजस्थान गम प्राइवेट लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यनारायण घूत पुत्र श्री शंकरलाल घूत				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 213 रकबा 04.00.00 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे। 2. आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट रखे जाने हेतु भूमि के सामने स्थित भूखण्ड के कमिटमेंट की रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवम् कमिटमेंट होने की स्थिति में प्रार्थी की भूमि में से 30 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु समर्पित करवायी जावे। कमिटमेंट नहीं होने की स्थिति में सडक मध्य से 30 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के विन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय 				

	में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	गंगाणा	121/2	03.00.10 बीघा (4896.53 वर्गमीटर)	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती शिल्पा बलारा पत्नी श्री रमेश बलारा				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 121/2 रकबा 03.00.10 बीघा (4896.53 वर्गमीटर) में शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को मुख्य सडक से आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग की राजस्व रिकॉर्ड के परिपेक्ष में स्पष्ट रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 28 :-


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	नारनाडी	211/2	02.07.10 बीघा	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	मैसर्स मारवाड़ फूड इण्डस्ट्री प्रा.लि जरिये निदेशक श्री रविन्द्र भंसाली पुत्र श्री मूलचन्द भंसाली				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 211/2 रकबा 02.07.10 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का अलाईमेंट जोनल डवलपमेंट प्लान अनुरूप रखते हुए सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 29 :-


बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
21.09.2023	जोन-4	चौखा	28, 38, 41	लगभग 36 हैक्टेयर	आवासीय योजना
आवेदक	जोधपुर विकास प्राधिकरण				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28, 38, 41 में रकबा लगभग 36 हैक्टेयर में आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 16.11.2022 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी सेक्टर-ए के उबड़ खाबड़ भूखण्डों की शिपिंग हेतु राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28, 38, 41 में प्रस्तावित आवासीय योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।				

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 26/09/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर


क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1528-31. दिनांक:- 26/09/2023
 प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


 26/09/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 26/2023 की बैठक दिनांक 21.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-4) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


26/09/2023
उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव